

प्रेषक:

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पंजीकृत

सेवा में,

प्रधानाचार्य/प्रबंधक,

लखनऊ विश्वी अमेरिकी विश्वी
प्राइमरी 2009

पत्रांक:

1276

/टी-3/राउप0/भा0सं0संस्तुति

लखनऊ

दिनांक:

3/11

नवंबर, 2009

विषय:- स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निजी औद्योगिक क्षेत्रों के व्यवसाय/युनिटों का स्थायी सम्बन्धन प्रदान किये जाने के बारे में महानिदेशालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, डी0जी0आई0टी0 नई दिल्ली में गठित उप समिति द्वारा दिये गये निर्णय की सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि आपके संस्थान से सम्बन्धित स्थायी-समिति की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 19.6.09 पर दिनांक 30.7.09 को महानिदेशालय, सेवायोजन एवं प्रशिक्षण, नई दिल्ली में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् की उप समिति की बैठक सम्पन्न हुयी। उप समिति द्वारा आपके संस्थान से सम्बन्धित स्थायी समिति की उक्त निरीक्षण रिपोर्ट के बारे में जो निर्णय लिया गया है, उसका उद्धरण व्यवसायकार नीचे अंकित किया जा रहा है:-

क्रम सं०	व्यवसाय/एकक जिनके लिए संस्थान/केंद्र द्वारा स्थायी संबंधन का अनुरोध किया गया।	संस्तुति की गयी		अन्युक्ति
		स्थायी समिति द्वारा	डीजीआईटी0 द्वारा	
1	2	3	4	5
1-	Father-02(LH)	02(LH)	02(LH)	SLR-19.6.09 W.E.F. Aug-2009

DET-6124/83/2009-T-C. Dated. 30.7.09

प्रयोग किये गये संकेत:-

- (1) एस0सी0आई0आर0-स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट
- (2) एस0आई0आर0-पूरक निरीक्षण रिपोर्ट
- (3) डी0आई0आर0-विभागीय निरीक्षण रिपोर्ट
- (4) यू0सी0-विचाराधीन
- (5) एन0आर0-संस्तुति नहीं किया गया।
- (6) एन0सी0-विचार नहीं किया गया।

2. आपसे अपेक्षा कि जाती है कि भारत सरकार द्वारा बताई गई कमियों/त्रुटियों का निराकरण समयांतर्गत करके अपनी आख्या बिंदुवार साथ सहित दो प्रतियों में इस निदेशालय को अविलम्ब प्रेषित करें। ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

विशेष :- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा यदि आपके संस्थान के वांछित व्यवसायों को मान्यता प्रदान नहीं की गई है तो आप इन व्यवसायों में प्रवेश न करें। इन अमान्य व्यवसायों के प्रशिक्षार्थियों को आगामी अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

भयदीय

(राहुल देव)

अपर निदेशक(प्रशिक्षण/शिक्षण)

पत्रांक: /टी.3/राउप0/भा0सं0संस्तुति/

तद्विनांकित

प्रतिप्रतिपि निम्नलिखित की सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण/शिक्षण) को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त विशेष बिन्दु पर विशेष ध्यान दें तथा संबंधित संस्थान/केंद्र को भी अपने स्तर से अवगत करावें।
2. संबंधित संस्थान/केंद्र की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
3. गार्ड फाइल हेतु।
4. उपनिदेशक, व्यावसायिक परीक्षा परिषद, अलीगंज, लखनऊ।

(राहुल देव)

अपर निदेशक(प्रशिक्षण/शिक्षण)

प्रेषक,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक,
लखनऊ सिटी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र,
पारा रोड राजाजीपुरम
लखनऊ।

पत्रांक-

/टी-3/रा0प0/भा0सं0संस्तुति

लखनऊ : दिनांक : 24-1-2010

2010

विषय-

स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निजी औद्योगिक केन्द्रों के व्यवसाय/यूनिटों का स्थायी सम्मन्धन प्रदान किये जाने के बारे में महा निदेशालय से जमा एवं प्रशिक्षण, डी0जी0ई0टी0 नई दिल्ली में गठित उप समिति द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि आपके संस्थान से सम्बन्धित स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 15-04-2010 पर दिनांक 15-06-2010 को महानिदेशालय, सेवायोजन एवं प्रशिक्षण, नई दिल्ली में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् की उप समिति की बैठक सम्पन्न हुई। उप समिति द्वारा आपके संस्थान से सम्बन्धित उपर निरीक्षण रिपोर्ट के बारे में जो निर्णय लिया गया है, उसका उद्धरण व्यवसायवार नीचे अंकित किया जा रहा है-

क्रम सं०	व्यवसाय/एकक जिनके लिए संस्थान/केन्द्र द्वारा स्थायी सम्बंधन का अनुरोध किया गया।	संस्तुति की गयी		अभ्युक्ति
		स्थायी समिति द्वारा	डीजी0ई0टी0 द्वारा	
1	2	3	4	5
1-	Fitter Addl. 2 Unit	Addl. 2 Unit	Addl. 2 Unit Total 04 (2+2)	SCIR-15/04/2010 .. w.e.f. Aug. 2010

DGET-6/24/83/2009 -TC

DATED 15/06/2010

प्रयोग किये गये संकेत:-

- (1) एस0सी0आई0आर0-स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट
- (2) एस0आई0आर0-पूरक निरीक्षण रिपोर्ट
- (3) डी0आई0आर0-विभागीय निरीक्षण रिपोर्ट
- (4) यू0सी0-विचारणीय
- (5) एन0आर0-संस्तुति नहीं किया गया।
- (6) एन0सी0-विचार नहीं किया गया।

2. आपसे अपेक्षा की जाती है कि भारत सरकार द्वारा बताई गई कमियों/त्रुटियों का निराकरण समयान्तर्गत करके अपनी आख्या बिन्दुवार साक्ष्य सहित दो प्रतियों में इस निदेशालय को अविलम्ब प्रेषित करें। ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

विशेष :- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा यदि आपके संस्थान के वांछित व्यवसायों को मान्यता प्रदान नहीं की गई है तो आप इन व्यवसायों में प्रवेश न करें। इन अमान्य व्यवसायों के प्रशिक्षार्थियों को आगामी अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

भवदीय,

(राहुल देव)
अपर निदेशक (प्रशि/शिक्षु)
कृते निदेशक।

पत्रांक : 520 /टी-3/रा0प0/भा0सं0संस्तुति/

तदुद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. संयुक्त निदेशक (प्रशि/शिक्षु) लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त विशेष बिन्दु पर विशेष ध्यान दें तथा संबंधित संस्थान/केन्द्र को भी अपने स्तर से अवगत करावें।
2. संबंधित संस्थान/केन्द्र की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
3. गार्ड फाइल हेतु।
4. उप निदेशक, व्यावसायिक परीक्षा परिषद् अलीगंज, लखनऊ।

(राहुल देव)
अपर निदेशक (प्रशि/शिक्षु)
कृते निदेशक।

प्रेषक,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक,
लखनऊ सिटी प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
भारा रोड राजाजीपुरम।

पत्रांक:

5128 / टी-3 / रा0प0 / भा0सं0संस्तुति

लखनऊ दिनांक :

06-4-2011

विषय:-

स्थायी समिति/विभाग की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निजी औद्योगिक केन्द्रों के व्यवसाय/यूनिटों का स्थायी सम्बन्धन प्रदान किये जाने के बारे में महा निदेशालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, डीजीआईटी नई दिल्ली में गठित उप समिति द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि आपके केन्द्र की विभागीय निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 12-5-2011 पर दिनांक 30-06-2011 का महा निदेशालय, सेवायोजन एवं प्रशिक्षण, नई दिल्ली में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् की उप समिति की बैठक सम्पन्न हुई। उप समिति द्वारा आपके संस्थान से सम्बन्धित उक्त निरीक्षण रिपोर्ट के बारे में जो निर्णय लिया गया है, उसका उद्धरण व्यवसायवार नीचे अंकित किया जा रहा है:-

क्रम सं०	व्यवसाय/एकक जिनके लिए संस्थान/केन्द्र द्वारा स्थायी संबंधन का अनुरोध किया गया।	संस्तुति की गयी		अभ्युक्ति
		स्थायी समिति द्वारा	डीजीआईटी द्वारा	
1	2	3	4	5
1-	Fitter Addl. 02 unit		Addl.02 unit Total 6(2+2+2)	DIR-12/5/11 w.e.f. Aug.2011
DGET-6/24/83/2009-TC DATED 30/06/2011				

प्रयोग किये गये संकेत:-

- (1) एस0सी0आई0आर0-स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट
- (2) एस0आई0आर0-पूरक निरीक्षण रिपोर्ट
- (3) डी0आई0आर0-विभागीय निरीक्षण रिपोर्ट
- (4) यू0सी0-विचाराधीन
- (5) एन0आर0-संस्तुति नहीं किया गया।
- (6) एन0सी0-विचार नहीं किया गया।

2. आपसे अपेक्षा की जाती है कि भारत सरकार द्वारा बताई गई कमियों/त्रुटियों का निराकरण समयान्तर्गत करके अपनी आख्या बिन्दुवार साक्ष्य सहित दो प्रतियों में इस निदेशालय को अविलम्ब प्रेषित करें। ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

विशेष :- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा यदि आपके संस्थान के वांछित व्यवसायों को मान्यता प्रदान नहीं की गई है तो आप इन व्यवसायों में प्रवेश न करें। इन अमान्य व्यवसायों के प्रशिक्षार्थियों को आगामी अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

भवदीय,

पत्रांक 5128 / टी-3 / रा0प0 / भा0सं0संस्तुति /

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. संयुक्त निदेशक (प्रशि/शिक्ष) लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त विशेष बिन्दु पर विशेष ध्यान दे तथा संबंधित संस्थान/केन्द्र को भी अपने स्तर से अवगत कराये।
2. संबंधित संस्थान/केन्द्र की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
3. गार्ड फाइल हेतु।
4. उप निदेशक, व्यवसायिक परीक्षा परिषद् अलीगंज, लखनऊ।

अपर निदेशक (प्रशि/शिक्ष)
तददिनांकित

अपर निदेशक (प्रशि/शिक्ष)